

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

मुकदमा संख्या 211 / 20.25

अनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी बनाम तेजाराम

--आदेश--

दिनांक 12.09.2025

श्रीमान जिला कलक्टर के पत्रांक:प.120(1)राजस्व/2016/7205-40 दिनांक 10.10.2016 के द्वारा प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया है,कि राजस्व देराजोणी साईयो की ढाणी पटवार मण्डल पायला खुर्द तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2076-2079 के अनुसार के निम्नांकित भूमि निजी खातेदारी में दर्ज है। लेकिन मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है,जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

भूमिधारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा किये जाने पर राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक:प.3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक:प.3(2)राज-6/2021/पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 के अनुसरण में में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 60 (एच) के तहत राजस्व देराजोणी साईयो की ढाणी पटवार मण्डल पायला खुर्द तहसील सिणधरी की निम्नांकित निजी खातेदारी भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ता सम्बन्धित निजी खातेदारी में रहेगा। परंतु नक्शे में जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जायेगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज की जायेगी। तहसीलदार सिणधरी तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में आदेशानुसार पालना करते हुए पालना रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करावें। तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

क्र.स.	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा (हैक्ट.)	किस्म	रास्ते हेतु मौके अनुसार प्रस्तावित भूमि			
					रकबा (हैक्ट.)	लम्बाई (गट्टा)	चौड़ाई (गट्टा)	किस्म
1	तेजाराम पुत्र नन्दराम हिस्सा-1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार. 2. दुर्गराम पुत्र नन्दराम हिस्सा-1/2 जाति जाट सा. देह खातेदाराहिन हिस्सा-1/2(पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा सिणधरी	172	18.0488	बा.दो.	0.1618	200	2	गै.मु. रास्ता
2	राजस्थान सरकार	171/4	0.0243	बा.दो.	0.0243	30	2	गै.मु. रास्ता
	योग		18.0731		0.1861			

(जगदीश सिंह आशिया)  
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

